परिवार पहचान-पत्र योजना

चर्चा में क्यों?

11 अक्टूबर, 2021 को हुई हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की पहली बैठक में मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर द्वारा एक नवंबर से **विभिन्न विभागों की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ केवल परिवार पहचान-पत्र के माध्यम से** दिये जाने का निर्देश दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि **परिवार पहचान-पत्र योजना** का **प्रारंभ हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2020 में** किया गया था।
- परिवार पहचान-पत्र के तहत **प्रत्येक परिवार को एक इकाई मानते हुए आठ अंकों की विशिष्ट परिवार आई.डी.** प्रदान की जा रही है।
- इसका **उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटा तैयार करना** है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को बाधामुक्त रूप में प्रदान किया जा सके।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/parivar-pehchan-patra-2